



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012026-269529
CG-DL-E-22012026-269529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2026/माघ 2, 1947

No. 324।

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2026/MAGHA 2, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

विषय: 26 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एसओ 1929(ई) के माध्यम से सीआरओ की अनुसूची में शामिल उत्पाद श्रेणियों के आदेश के कार्यान्वयन हेतु समयसीमा में विस्तार।

का.आ. 352(अ).—जबकि भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016, (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस.ओ. संख्या 1929 (ई) के जरिये "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2021" की अनुसूची के क्रम संख्या 64 पर "टेलीविजन सेट्स" को आईएस 18112:2022 के अनुपालन हेतु जोड़ा था। इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि 26 जनवरी, 2026 थी।

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आदेश के कार्यान्वयन की तिथि 26 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दी गई है।

[फा. सं. डब्ल्यू-47/7/2023-आईपीएचडब्ल्यू]

सुशील पाल, संयुक्त सचिव

नोट: प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 मार्च, 2021 के एस.ओ. संख्या 1248(ई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे दिनांक 25 मार्च, 2021 के एस.ओ. संख्या 1353(ई), दिनांक 01 जुलाई, 2021 के एस.ओ. संख्या 2844(ई), दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के एस.ओ. संख्या 1929(ई), दिनांक 9 अप्रैल, 2024 के एस.ओ. संख्या 1652(ई), दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 के एसओ संख्या 4378(ई) दिनांक 20 मार्च, 2025 के एसओ संख्या 1363(ई), दिनांक 22 सितम्बर, 2025 के एसओ संख्या 4362(ई) और दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 के एसओ संख्या 4997(ई) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2026

Subject: Extension in timelines for the implementation of the Order for product categories included in the schedule of CRO vide S.O. 1929(E) published in Gazette of India on 26th April, 2023

S.O. 352(E).—Whereas in exercise of the powers conferred sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016, (11 of 2016), the Central Government, vide S.O. no 1929 (E) published in Gazette of India on 26th April, 2023, had added “Television Sets” at Sl. No 64 of the Schedule of the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021” for compliance to IS 18112:2022. The date of coming into effect of the Order was 26th January, 2026.

It is hereby notified that the date of implementation of the Order stands extended to 26th July, 2026.

[F. No. W-47/7/2023-IPHW]

SUSHIL PAL, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E) dated the 18th March, 2021 and subsequently amended vide S.O. No 1353(E) dated 25th March, 2021, S.O. 2844(E) dated 01st July, 2021, S.O. No 1929(E) dated 26th April, 2023, S.O. No 1652(E) dated 9th April, 2024, S.O. No 4378(E) dated 9th October, 2024, S.O. No 1363(E) dated 20th March, 2025, S.O. 4362(E) dated 22nd September 2025 and S.O. 4997(E) dated 29th October 2025.